

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-353/मु0आ0/न0आ0, दिनांक 14.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रस्तावित कार्यो के अनुमानित लागत ₹ 4241.91 लाख को व्यय वित्त समिति की दिनांक 18.03.2015 को आयोजित बैठक में प्रस्तावित कार्य की अनुमोदित लागत ₹ 3449.40 लाख (₹ चौतीस करोड़ उनचास लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत तथा इसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अन्तयेष्टि स्थल के विकास हेतु कुल ₹ 150.00 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	लखनऊ में शहरी क्षेत्र में अन्तयेष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत बैकुण्ठधाम एवं बहाई समाधि स्थल के मध्य रिक्त भूमि पर घाट, शवदाह, प्लेटफार्म, पार्किंग, बैठने का स्थान, पीने के पानी की व्यवस्था, पाथवे, लकड़ी विक्रय स्थल आदि कार्य।	3449.40	150.00
योग				3449.40	150.00

(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

-----2/

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1192/दस-2015, दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-126/2015- 269/नौ-5-2015-12बजट,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-31/03/2015

प्रेषण संख्या:- 126-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-126-2015-269-9-5-2015-12Bud-15
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 24556000	15000000 24556000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15000000 24556000	15000000 24556000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार


(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव